उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या-4 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-ताडी तहसील-मऊ, जनपद-चित्रकूट के निवासियों को विद्युत विभाग के कार्मिकों द्वारा परेशान किये जाने से संबंधित प्रकरण की तत्काल जाँच कराते हुए कार्यवाही कराये जाने हेतु आशुतोष सिन्हा, तत्कालीन सभापति संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति उ0प्र0 का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के साथ ग्रामीणों के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उन बिन्दुओं के अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	इस सम्बन्ध में बिन्दुवारविवरण निम्नवत हैः- 1. श्री शंकर लाल पुत्र श्री मेडेलाल, निवासी ताड़ी, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट संयोजन संख्या-781714861590 विद्या एल०एम०वी०-6 (आटा चक्की) का संयोजन मीटर सं०-UPE85565 स्थापित कर दिनांक 08.06.2012 को संयोजन निर्गत किया गया था। 2. उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2015 में कनेक्शन काटने की बात कही गयी एवं बिल संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया। उपभोक्ता के प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपभोक्ता के परिसर की जाँच क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.08.2015 को करते हुए मीटर रीडिंग 24919 यूनिट सत्यापित की गयी, जिसमें उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग के अनुसार निर्गत हुआ। विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं काटा गया। उपभोक्ता का बिल दिनांक 20.02.2017 तक लेजर के अनुसार 31145 KWH (यूनिट) के आधार पर धनराशि रू० 2,04,152.00 निर्गत था। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 21.11.2017 को रू० 20,000.00, दिनांक 31.12.2017 को रू० 10,000.00, दिनांक 08.03.2018 को रू० 20,000.00, दिनाक 28.09.2018 को रू० 25,000.00 एवं दिनांक 28.11.2018 को रू० 30,000.00 सहित (कुल रू०1,05,000.00) जमा किया गया, जबकि नवंबर 2018 तक कुल बिल रू० 2,08,296.00 बकाया था, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2021 तक कोई भुगतान नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 01.10.2021 को उपभोक्ता के द्वारा बकाया बिल भुगतान न करने पर मीटर रीडिंग 64853 KWH (यूनिट) पर संयोजन स्थाई विच्छेदित कर दिया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपख० मऊ के कार्यालय पत्रांक 1057 दिनांक 25.03.2022 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा मीटर सं०-UPE85565 मीटर रीडिंग 64853 KWH (यूनिट) (एमआरआई) के अनुसार दिनांक 30.04.2022 को परिसर से उतारा गया।

4. खण्डीय कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3819 दिनांक 11.01.2023 को पूर्व में विच्छेदित दिनांक 01.10.2021 के आधार पर एवं उपभोक्ता द्वारा जमा किये गये समस्त बिलों तथा प्रतिभूति धनराशि रू० 8,000.00, विच्छेदन शुल्क रू० 590.00 को समायोजित करते हुये रू० 6,61,608.00 का बिल निर्गत किया गया।

5. उपभोक्ता द्वारा बिल जमा न करने के फलस्वरूप रू० 6,61,608.00 की आर०सी० निर्गत की गयी। आर०सी० के सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा अमीन के माध्यम से दिनांक 30.09.2023 को रू० 10,000.00 एवं दिनांक 30.12.2023 को रू० 90,000.00 जमा किया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता का रू० 5,61,608.00 विद्युत बिल बकाया है।

6. एकमुश्त समाधान योजना के सम्बन्ध में योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता को भी सूचित किया गया है, उपभोक्ता के द्वारा तद्दिनांक 27.02.2025 तक एकमुश्त समाधान योजना में कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

ए०के० शर्मा

ऊर्जा मंत्री।